लोक शिक्षण संचालनालय
मध्य प्रदेश

ई–मेल – physicaldpi@mp.gov.in

क्रमांक / शा.शि / एस / 08 / 12 / 291 भोपाल, दिनांक 5 / जुलाई 2012

प्रति

1. समस्त संयुक्त संचालक
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी

विषय दिनाक 21.05.2012 को राज्य स्तरीय खेल बैठक में लिये गये निर्णयो पर कार्यवाही विषयक।

दिनाक 22.05.2012 को राज्य स्तरीय खेल बैठक आयोजित की गई थी, वर्ष 2012–2013 खेल सत्र हेतु खिलाडियों एवं ऑफिशियल्स के हितो का ध्यान रखते हुये महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। लिये गये निर्णयो के संबंध में निम्नलिखित निर्देश पालन हेतु प्रसारित किये जा रहे है :–

1/ राज्य के शालेय खेलो को संभाग एवं राज्य स्तर पर आयोजन, भोपाल, रेल्वे आरक्षण, चयन प्रक्रिया, अम्पाइरिंग, रैफरशिप एव अन्य व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से कियान्वित ओर परिणाम मूलक बनाने के लिये प्रतियोगिताओं का सतत निरीक्षण ओर पर्यवेक्षण किया जाना आवश्यक है। संचालनालय से जारी खेल निर्देशो का पालन किया जा रहा है अथवा नही इसके लिये जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जिला क्रीडा अधिकारी अथवा खेल तकनीकी कर्मचारी / अधिकारी संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय मे पदस्थ सहायक संचालक (खेल) अथवा समकक्ष खेल तकनीकी कर्मचारी तथा संचालनालय स्तर से नियुक्त अधिकारी, उत्कृष्ट खिलाडी कर्मचारी / खेलो की जानकारी रखने वाले कर्मचारियो को निरीक्षण समिति में नियुक्त किया जायेगा। समिति का कार्य संभागीय एव राज्य स्तर प्रतियोगिताओ का पर्यवेक्षण / निरीक्षण कार्य करते हुये यथोचित कार्यवाही करेगी तथा आवश्यक होने पर वरिष्ठ कार्यालय को कार्यवाही हेतु प्रस्तावित करेगा।

2/ राज्य स्तरीय शालेय प्रतियोगिता के सफल एवं निष्पक्ष संचालन के लिये संचालनालय से पूर्व वर्षो के अनुरूप स्टेट ऑफिशियल्स नियुक्ति किये जायेंगे, नियुक्त स्टेट ऑफिशियल्स को प्रतियोगिता स्थल पर अपनी उपस्थिति एक दिन पूर्व अनिवार्य रूप से देनी होगी। स्टेट ऑफिशियल्स का उपयोग आयोजन में सहयोग, अम्पाइरिंग, चयनकर्ता, मैच पर्यवेक्षक, अनुशासन व्यवस्था एव अन्य कार्यो के सपादन हेतु किया जायेगा।

- राज्य स्तरीय शालेय प्रतियोगिता मे चयनकर्ता संचालनालय से नियुक्त स्टेट ऑफिशियल्स पैनल से ही बनाये जायेंगे।
- एक आयु वर्ग के लिय संभाग से अधिकाम एक ही चयनकर्ता नियुक्त किया जायेगा।
- संभागीय दल प्रबधक नियुक्त करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि नियुक्त प्रबधक शारीरिक शिक्षा सवर्ग का हो और वरिष्ठता के आधार पर नियुक्त किया जावे।
- एक ही अधिकारी / कर्मचारी की एक सत्र में दल प्रबंधक के रूप में अधिकतम दो बार से अधिक नियुक्त नही किया जावे।
- राष्ट्रीय शालेय क्रीडा प्रतियोगिताओ मे भाग लेने वाले दल के कोच की नियुक्ति पूर्व से ही संचालनालय से की जावेगी जिससे संभाग स्तर से ही पर्यवेक्षण संबंधी कार्य कर सकेगा और खिलाडियो के साथ समन्वय स्थापित कर सकेगा। कोच चयन समिति का सदस्य भी होगा।
- चयन समिति में एक चयन कर्ता आदिवासी विकास विभाग से एक चयनकर्ता तटस्थ रूप से (साई / खेल कूद विभाग / एन.आई.एस. / वरिष्ठ राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय

खिलाडी अन्य विभाग में पदस्थ खेल विशेषज्ञ) एक चयनकर्ता जिसको राष्ट्रीय प्रतियोगिता हेतु प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है समिति का सदस्य होगा शेष दो चयनकर्ता अन्य संभागो के नियुक्त किये जायेंगे।

- संभाग में राष्ट्रीय शालेय क्रीडा प्रतियोगिता एवं राज्य स्तरीय शालेय क्रीडा के आयोजन के दौरान प्रारम्भ से समापन तक सहायक संचालक (खेल) अनिवार्य रूप से प्रतियोगिता स्थल मे उपस्थित रहेंगे।

3/ म.प्र शालेय दल का मुख्य दल प्रबंधक नियुक्त करने की कार्यवाही संचालनालय स्तर से तथा संभागीय दल प्रबंधक नियुक्त करने का कार्य संभागीय संयुक्त संचालक, कार्यालय से किया जायेगा।

4/ अधिकाश यह देख गया है कि विद्यार्थियो का पात्रता प्रमाण पत्र में चाही गई जानकारी अपूर्ण और स्पष्ट नही होती है जिसके कारण राज्य एवं राष्ट्रीय रतर पर चयनित होने पर खिलाडियो की ऑन लाईन एन्ट्री करने में कठिनाई होती है। इस संबंध में जिला तर से ही ऑन लाईन एन्ट्री करने संबंधी कार्यवाही संचालनालय स्तर से की जा रही है।

5/ जिले एवं संभागीय कार्यालयो में प्रतियोगिताओं संबंधी कार्य की अधिकता को देखते हुये यह आवश्यक है कि कार्यालयीन कार्य हेतु क्रीडा कक्ष में कम से कम दो लिपिक, एक कम्प्युटर ऑपरेटर तथा 01 भृत्य की व्यवस्था अनिवार्य रूप से व्यवस्था करते हुये, जिला शिक्षा अधिकारी एव सभागीय संयुक्त संचालक पालन प्रतिवेदन संचालनालय को 10 दिवस मे प्रेषित करेगे।

6/ म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्र. एफ 27--70/2010/बीस--2/ भोपाल दिनांक 12.07.10 के अनुसार हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल में अध्यनरत छात्र/छात्राओं से ली जाने वाली क्रीडा शुल्क की दरे निम्नानुसार निर्धारित की है:--

स.क्र	कक्षा	पूर्व में ली जाने वाली शुल्क	नवीन निर्धारित शुल्क
1	9वी एवं 10वी	30 रूपये प्रतिवर्ष	60 रूपये प्रतिवर्ष
2	11वी एवं 12वी	50 रूपये प्रतिवर्ष	100 रूपये प्रतिवर्ष

उक्त राशि के उपयोग हेतु इसका वर्गीकरण निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है।

- शाला में एकत्रित कुल क्रीडा शुल्क की राशि का 45 प्रतिशत अंशदान राशि शालाओं में नियमित खेलकूद गतिविधियों के संचालन, आवश्यकतानुसार खेल सामग्री के क्रय तथा खेल मैदान के रख–रखाव आदि पर व्यय की जाए।
- शालाओ मे एकत्रित कुल क्रीडा शुल्क की राशि का 40 प्रतिशत अंशदान राशि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में खेलकूद गतिविधियों के संचालन हेतु भेजी जाए।
- शालाओं मे एकत्रित कुल क्रीडा शुल्क की राशि का 15 प्रतिशत अंशदान राशि संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण कार्यालय में खेलकूद गतिविधियों के संचालन हेतु भेजी जाए। उक्त आदेश का कढाई से पालन किया जावे।

7/ प्राय: यह प्राय: यह देखने में आता है कि अशासकीय शालाओं की वार्षिक क्रीडा शुल्क जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा नही कराई जाती है। जिसके कारण जिले, संभाग एव राज्य स्तर पर वित्तीय अस्थिरता की स्थिति निर्मित होती है। इस सबध मे समस्त संयुक्त संचालक कार्यालयो को स्पष्ट निर्देश दिये जाते है कि जिन अशासकीय विद्यालयो द्वारा क्रीडा शुल्क जमा नही किया है ऐसे विद्यालयों के विद्यार्थी जिला एवं संभाग स्तरीय प्रतियोगिताओं में सहभागिता नही कर सकेगे। इस सबध में जारी निर्देशो का पालन करने का पूर्ण उतरदायित्व जिला शिक्षा अधिकारी का होगा।

8/ सभागीय संयुक्त संचालक एव जिला क्रीडा अधिकारी कार्यालयों में पदस्थ सहायक संचालक (खेल) एवं जिला क्रीडा एवं कल्याण निरीक्षकों को प्रतियोगिता अवधि/निरीक्षण एवं खेल पर्यवेक्षण कार्य हेतु तत्समय वाहन उपलब्ध कराई जावे।

9/ शालेय खेलो को मैदानी स्तर पर व्यवस्थित बनाने के लिये यह आवश्यक है कि विद्यार्थियों को अपने खेल को दिखाने प्रदर्शित करने का पर्याप्त अवसर मिले इसके लिये

यह आवश्यक है कि संभागीय क्रीडा प्रतियोगिताओं का आयोजन राज्य स्तरीय शालेय प्रतियोगिता के अनुरूप "लीग कम नाकआउट" पद्धति से कराये जावे। समस्त टीम एवं व्यक्तिगत खेलो का आयोजन निर्देशानुसार हो इसका पूर्ण उतरदायित्व जिला क्रीडा अधिकारी एवं संभागीय सहायक संचालक (खेल) का होगा।

10/ जिले से राज्य स्तर के खेल कैलेण्डर बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि प्रतियोगिताओं के आयोजन मे यथा संभव 15–20 दिवस का अंतर हो ओर साथ ही जिले स्तर पर इण्डोर खेलो का आयोजन अथवा जो खेल बारिश में आयोजित हो सकते हो उन्हे यथा संभव अगस्त माह में आयोजित करने की व्यवस्था करें। साथ ही जिले एव सभाग का खेल कैलेण्डर बनाते समय जिला क्रीडा कल्याण निरीक्षक वरिष्ठ व्यायाम शिक्षक एव खेल तकनीकी विशेषज्ञो के सहयोग एवं परामर्श से उसे अंतिम रूप दिया जाये।

11/ शालेय शिक्षा विभाग शालेय खेलो का स्तर ओर बेहतर हो सके इसके लिये यह आवश्यक है कि किसी भी खिलाडी के साथ अन्याय न हो इस के लिये जिले/ सभाग/राज्य स्तर पर प्रतियोगिताओं के अंतिम दिन ट्राइल्स कराकर टीम चयन की प्रकिया को सम्पादित की जावे।

12/ जिला एव संभाग स्तरीय प्रतियोगिताये लीग कम नाक आउट पद्धति से आयोजित की जायेगी। अतः यदि आवश्यक हो तो ही प्रतियोगिता की अवधि को, खेल के स्वरूप, मैदानो की उपलब्धता के आधार पर कम अथवा अधिक किया जा सकता है।

13/ राज्य शालेय खेलो में नवीन खेलो को सम्मिलित करने के लिये बैठक मे उपस्थित समस्त सदस्यो द्वारा सर्वसम्मिति से गाईड लाईन एवं निम्नानुसार निर्देशो पर सहमति प्रदान की है.–

गाईड लाईन

1 ऐसे खेलो को शालेय खेलो में सम्मिलित करने पर विचार किया जाये जो प्रदेश मे लोकप्रिय ओर व्यापक रूप से खेला जा रहा हो।
2 स्कूल/संस्थाओं में अध्यनरत विद्यार्थियो की अधिक से अधिक सहभागिता हो।
3 कम से कम स्थान, समय और कम लागत मे खेला जा सके।

नियम निर्देश

1 स्टेट एसोसियशन द्वारा शालेय खेलो में नवीन खेलो को सम्मिलित करने के लिये आयुक्त, लोक शिक्षण को निवेदन करेगा। तत्पश्चात सभागीय सयुक्त संचालक, कार्यालय में पदस्थ सहायक संचालक (खेल) द्वारा इस बात की पुष्टि एव परीक्षण करते हुये उसके अधीनस्थ जिलो मे यह खेल स्कूल/क्लब/अकादमी स्तर पर प्रचलित है अथवा नही तत्पश्चात अपनी अनुसंशा संचालनालय को प्रेषित करेंगे।
2 09 संभागों में से 05 संभागो की सहमति अनुशंसा के पश्चात जिला स्तर से राष्ट्रीय शालेय प्रतियोगिता में टीम को सम्मिलित कराने का उत्तरदायित्व सबंधित स्टेट एसोसियेशन एवं फेडरेशन का होगा।
3 स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत तकनीकी ऑफिशियल्स को संबंधित खेल का तकनीकी/एम्पायरिंग/नियमो की जानकारी देने हेतु वर्कशाप/सेमीनार का आयोजन का पूर्ण उत्तरदायित्व एसोसियेशन का होगा।
4 प्रतियोगिताओं के आयोजन में आवश्यकतानुसार विभाग को पूर्व सहयोग प्रदान करना होगा। उक्त गाईड लाईन एवं नियमो को मान्य करने की स्थिति में स्टेट एसोसियेशन द्वारा सहमति पत्र देना होगा।

14/ शालेय स्तर पर विद्यार्थियों से लिये जाने वाले क्रीडा शुल्क की राशि मे से, जिला एवं सभाग स्तर पर अंशदान लिया जाता है । इस अंशदान की राशि का उपयोग खेलकूद गतिविधियो के आयोजन के अतिरिक्त अन्य विभागीय प्रशासकीय कार्यो पर भी किया जाता है जो कि वित्तीय अनियमितता की श्रेणी मे आता है । क्रीडा शुल्क के रूप मे प्राप्त की जाने वाली राशि का उपयोग केवल खेल गतिविधियों से संबधित प्रयोजनों पर ही किया जावे । यदि इसके विपरीत किसी अन्य प्रयोजन हेतु क्रीडा शुल्क की राशि व्यय की जाती है तो इसे वित्तीय अनियमितता

मानकर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। वर्तमान स्थिति मे क्रीडा शुल्क की स्थिति का मद वार विवरण 07 दिवस में संचालनालय को भेजे।

15/ स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत अधिकारियो एवं कर्मचारियो को खेलो के साथ जोडने एवं शारीरिक, मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिये प्रारंभ विभागीय प्रतियोगिताओं मे अधिक से अधिक अधिकारी एवं कर्मचारी भाग ले। जिसमें से श्रेष्ठ एवं जानकार खिलाडी कर्मचारियो का उपयोग शालेय खेलो में योग्यतानुसार किया जायेगा। विभागीय खेलो में वर्तमान में एथलेटिक्स, क्रिकेट, फुटबाल, हॉकी, कब्बडी, बालीबाल, बेडमिन्टन, टेबिल टेनिस, बॉस्केटबॉल, शतरंज खेलो का सभावेश है जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी ही खेलने हेतु अधिकृत होगें। प्रतियोगिताऐं पुरूष एव महिला दोनो वर्ग मे आयोजित की जायेगी।

16/ राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के कार्यालय संचालन हेतु जिसमें पात्रता प्रमाण पत्र का परीक्षण, अंक सूचियो का परीक्षण, मेरिट प्रमाण पत्र का वितरण संबंधी कार्य हेतु संचालनालय से अनुभवी कर्मचारियो की कोर कमेटी बनायी जायेगी। उक्त कमेटी में से दो दो सदस्यो को राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओ में उल्लेखित कार्य का संपादन करने हेतु भेजा जावेगा।

(सभाजीत यादव)
संचालक
लोक शिक्षण,म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक/शा0शि0/एस/08/2012–13/232 भोपाल,दिनांक 5/जुलाई 2012

प्रतिलिपि –

1. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश भोपाल ।
2. अध्यक्ष, खेलकूद एवं सास्कृतिक समन्वय समिति लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल ।
3. समस्त संभागीय सहायक संचालक (खेल) कार्यालय सभागीय संयुक्त सचालक लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का कडाई से पालन किया जाए ।

संचालक
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश